☎ कार्यालय– 2678078
2672404

फैक्स– : 0135–2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11–मोहिनी रोड़, देहरादून

पत्रांक 342 /मुख्यालय अनुभाग–निविदा/16 दिनांक 17.04.17

अल्पकालीन कोटेशन नोटिस

एतद् द्वारा प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून हेतु टैक्सी टाटा इण्डिगो (ए0सी0) डीजल चालित किराये पर प्रतिमाह की दर से लिया जाना है। इस हेतु दिनांक 09.05.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक (अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस) मुहरबन्द कोटेशन आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक कोटेशनदाता, कोटेशन निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

क्र. सं.	वाहन का पंजीकरण संख्या	वाहन का निर्मित वर्ष	पंजीकरण का माह/वर्ष	मासिक किराया (₹ में)	निर्धारित डीजल खपत किमी0 प्रति ली0		रात्रि विश्राम दर (₹ में) प्रति रात्रि
					पर्वतीय	मैदानी	
01	02	03	04	05	06	07	08
1-							

शर्तें :–

1. कोटेशन के साथ रू0 5000.00 की एन0एस0सी0/बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल बैंक) के रूप में प्रतिभूति धनराशि अधिशासी अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पदनाम बन्धक होगी। प्रतिभूति धनराशि के बगैर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. डीजल विभाग द्वारा भरवाया जायेगा, तथा इस हेतु नियमित रूप से वाहन की लॉग बुक का रख–रखाव किया जायेगा।
3. वाहन चालक, वाहन की मरम्मत, इन्जन ऑयल, समस्त कर एवं रख रखाव इत्यादि वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।
4. दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व वाहन स्वामी का होगा।
5. वाहन के देहरादून मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में रात्रि विश्राम अनुमन्य होगा।
6. कार्यालय के समय एवं कार्य दिवसों के अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर भी वाहन, वाहन स्वामी को उपलब्ध कराना होगा।
7. वाहन खराब होने अथवा अन्य किसी कारण यदि किसी अवधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा सके, तो उस अवधि का किराया औसत दर से कटौती किया जायेगा।
8. वाहन का मेक वर्ष 2015 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।
9. वाहन को विभाग हित में उत्तराखण्ड के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है।
10. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. बीजक का भुगतान विभाग द्वारा चैक के माध्यम से किया जायेगा।
12. वाहन स्वामी द्वारा विभाग के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।

AE(T) Tanuja website पे upload करें
18/4/17

C:\Users\Win 7\Desktop\Quatation Notice.doc

Gunjan Singh Mahra
Upload on Site

13. अनुबन्ध की अवधि में वाहन को वाहन स्वामी द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

14. उत्तराखण्ड से बाहर जाने पर रोड टैक्स, टोल टैक्स आदि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा, चालक द्वारा अपने रहने तथा खाने की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

15. स्वीकृति हेतु निर्धारित विवरण पत्र (प्रपत्र) प्रपत्र–23 (पंजीकरण प्रमाण–पत्र) प्रपत्र–47 (टैक्स हेतु परमिट), प्रपत्र–27 (परिवहन विभाग द्वारा जारी टूरिस्ट परमिट), प्रपत्र–38 (फिटनेस प्रमाण–पत्र) वाहन इन्श्योरेन्स सम्बन्धी अभिलेख, चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स, वाहन स्वामी का विभाग / कार्यालय में कार्यरत सगा–सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) तथा परिवहन विभाग से रोड टैक्स, ट्रेड टैक्स, आयकर से सम्बन्धित पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. यदि नये वाहन की आपूर्ति प्रस्तावित की जा रही है तो उपरोक्त शर्त सं0 15 के अन्तर्गत यह शपथ–पत्र देना होगा कि वाहन नया खरीद कर दिया जाएगा, जिसे आपूर्ति आदेश के 30 दिन के अन्तर्गत शर्त सं0 15 में उल्लिखित सभी प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

17. कोटेशन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

18. आयकर की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह देयक से की जायेगी।

(ओ0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, देहरादून।
3. मण्डलीय लेखाकार, प्रधान कार्यालय, देहरादून।
4. नोटिस बोर्ड।

17/4/17
अधिशासी अभियन्ता (मु0)